PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:-U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइटwww.ptcul.org

पत्रांक 924 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–8 दिनांक : 30.05.2026

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन आदेश संख्या 138 दिनांक 15.07.2017 एवं सपठित आदेश संख्या 188 दिनांक 12.10.2017, 343 दिनांक 26.02.2022 एवं 698 दिनांक 21.05.2022 के द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय एवं अन्य समस्त क्षेत्रीय / मण्डल / खण्ड कार्यालयों तथा समस्त विद्युत उपसंस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु बायोमैट्रिक आधारित उपस्थिति अनुश्रवण प्रणाली (Biometric Based Attendance Monitoring System-BBAMS) की व्यवस्था लागू की गयी है।

एतद्द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय एवं अन्य समस्त क्षेत्रीय / मण्डल / खण्ड कार्यालयों तथा समस्त विद्युत उपसंस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (संविदा कर्मियों सहित) को कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 698 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–8 दिनांक 21.05.2022 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इसके साथ ही यदि कोई कार्मिक मध्याह्न भोजन (Lunch Break) हेतु कार्यालय से बाहर जाता है तो वह कार्यालय से बाहर निकलते हुये बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति अंकित करेगा तथा इसी प्रकार जब कार्मिक भोजनावकाश के पश्चात वापस लौटेगा तो तत्समय भी वह बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति अंकित करेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त देहरादून मुख्यालय से अन्यत्र पिटकुल के अन्य कार्यालयों, उपकेन्द्रों तथा परियोजनाओं में तैनात कार्मिकों द्वारा कारपोरेशन कार्यावश्यकता के दृष्टिगत यदि देहरादून की यात्रा की जाती है तो उक्त कार्मिक विभागीय कार्य से देहरादून में रहने की सम्पूर्ण अवधि में दोनों पहर कार्यालय में आते–जाते समय एवं मध्याह्न भोजन के समय अपनी उपस्थिति मुख्यालय में स्थापित बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 924 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
4. कम्पनी सचिव / समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)